न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–प्रथम, कुशीनगर स्थान पडरौना।
उपस्थित: **सत्यपाल सिंह प्रेमी, (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP01829**

UPKU010042872026

1– प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1280/2026

रियाज अहमद बउम्र 32 वर्ष पुत्र अब्दुल कुद्दूस,
साकिन–बसहिया वनवीरपुर, थाना–कोतवाली पडरौना, जनपद–कुशीनगर,
.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विरूद्ध पक्ष।

मु०अ०सं०–90/2026
धारा– 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम,
थाना–कुबेरस्थान,
जनपद–कुशीनगर।

एवं

UPKU010044062026

2– प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1358/2026

1. सहजादा उर्फ दानिस बउम्र 32 वर्ष पुत्र तौफिक,
2. अफरोज बउम्र 34 वर्ष पुत्र आलीम,
3. बाबु अली बउम्र 30 वर्ष पुत्र क्यामुद्दीन,

साकिनान–बसहिया वनवीरपुर, थाना–कोतवाली पडरौना, जनपद–कुशीनगर,
.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विरूद्ध पक्ष।

मु०अ०सं०–90/2026
धारा– 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम,
थाना–कुबेरस्थान,
जनपद–कुशीनगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण रियाज अहमद, सहजादा उर्फ दानिस, अफरोज व बाबुअली द्वारा उपरोक्त मामले में पृथक–पृथक प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही अपराध संख्या, घटना एवं थाना से सम्बन्धित हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से दोनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

3– मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 26.04.2026 को वादी मुकदमा/उ०नि० सागर कुमार मय हमराह बिनावर देखभाल क्षेत्र जाँच प्रार्थना पत्र, पैन्डिंग विवेचना में मय सरकारी वाहन बोलेरो में मामूर होकर कुबेरस्थान बाजार में मौजूद था कि जरिये दूरभाष थाना कार्यालय से सूचना प्राप्त हुआ कि पी.आर.वी. 5795 के द्वारा लक्ष्मीपुर ढाला के पास एक मोटरसाईकिल पर सवार संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया है। जिसके पास बैग में गौमांस है। इस सूचना पर उ०नि० मय हमराहियान के कुबेरस्थान बाजार से प्रस्थान कर लक्ष्मीपुर ढाला पहुँचा जहां पी.आर.वी. 5795 मौजूद मिली जिनके द्वारा पास खड़े एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया गया कि मोटरसाईकिल के साथ खड़ा यह वही व्यक्ति है जिसके पास बैग में गौ मांस है। नजदीक जाकर उस व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो आरोपी ने अपना नाम पता गुलाम दस्तगीर बताया। बैग में रखे सामान के सम्बन्ध में पूछने पर बता रहा है कि साहब बैग में एक–एक किलोग्राम की 20 प्लास्टिक की पन्नी में गौमांस (बछड़ा) है जिसे मैं गाँव में घूम–घूमकर मोटरसाईकिल से बेचता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। आज भी उक्त मांस को बिहार से लाकर बेचने जा रहा था कि पकड़ा गया। जामा तलाशी लिया गया तो पहने हुये कपड़े के दाहिनी जेब से 120/– रूपया बरामद हुआ तथा उसके बैग को खोलकर देखा गया तो प्लास्टिक के 20 थैले में बंधा हुआ मांस बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति से गौमांस रखने परिवहन करने व बेचने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा।

5– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर बल देते हुये कथन किया गया है कि यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है। प्रार्थीगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें फर्जी व झूठे मुकदमें में रंजिशन फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एण्टी टाईम है। प्रार्थीगण उक्त दफा में वर्णित अपराध किसी प्रकार से कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण उपरोक्त मुकदमें में नामित अभियुक्त नहीं है। प्रार्थीगण को अभियुक्त गुलाम दस्तगीर के बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अन्त में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु याचना की गई।

6– विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण ने सह अभियुक्त के साथ मिलकर गोवंशीय पशुओं को वध हेतु बिहार राज्य में भेज रहे थे। अपराध गम्भीर किस्म का है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

7– केस डायरी के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मुखबिर खास की सूचना पर मात्र एक अभियुक्त गुलाम दस्तगीर के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। मुख्य आरोपी गुलाम दस्तगीर का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.05.2026 को न्यायालय द्वारा गुण–दोष पर प्रदान कर दी गयी हैं। क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य इस स्तर पर मौजूद नहीं था जो इस तथ्य को सिद्ध करें कि मुख्य आरोपी से बरामद मांस गोवंश है।

प्रार्थीगण रियाज अहमद, सहजादा उर्फ दानिश, अफरोज व बाबु अली के पास से न ही कोई मांस की बरादगी हुई है न ही वे नामजद अभियुक्त हैं। प्रार्थीगण के विरूद्ध गौ हत्या कारित किये जाने का कोई साक्ष्य केस डायरी में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अभियुक्त मात्र मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर बनाया गया है। जबकि प्रार्थीगण न घटना स्थल पर मौजूद थे न ही उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई अपराध कारित किये जाने का आरोप है। प्रार्थीगण को नामजद अभियुक्त गुलाम दस्तगीर के बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा केस डायरी में ऐसा साक्ष्य मौजूद नहीं है जो प्रार्थीगण के विरूद्ध गौवंश का वध व मांस की बरामदगी को प्रथम दृष्टया सिद्ध करता हो। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत वाद के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण/प्रार्थीगण रियाज अहमद, सहजादा उर्फ दानिस, अफरोज व बाबु अली द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निम्न शर्तों पर स्वीकार किया जाता है–

1– आवेदकगण आरोप व धारा 313 दं०प्र०सं० के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगें।

2– आवेदकगण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिग्य किसी व्यक्ति का कोई उत्पीड़न, धमकी या वचन नहीं देगें, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या विवेचक के समक्ष प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3–आवेदकगण संबंधित न्यायालय की अनुमति के बिना जनपद से बाहर नहीं जायेगें।

यदि आवेदकगण को पुलिस द्वारा वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो आवेदकगण प्रत्येक द्वारा मु०– 50,000/–रूपये का निजी मुचलका व इसी धनराशि के एक प्रतिभू निष्पादित करने पर उन्हें अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाय।

इस जमानत आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1358/2026 सहजादा उर्फ दानिस आदि बनाम सरकार की पत्रावली पर रखी जाय।

दिनांकः 25.06.2026

(सत्यपाल सिंह प्रेमी)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

Digitally signed by SATYA PAL SINGH PREMI
Date: 2026.06.25 15:43:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court